तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री आर0के0जायसवाल, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपराजकीय अधिवक्ता सरकार
विपक्षी अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 27–12–2018

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर के निर्णय दिनांक 08–11–2000 के द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बस्सी ने एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि सम्वत 2019 की खतौनी एकीकरण ग्राम झर के आराजी खसरा संख्या 264 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्रीकृष्णजी बहतमाम पुजारी लादू पुत्र हुक्मा हिस्सा 2/9, कन्हैया पुत्र जैला हिस्सा 4/9, भोल्या पुत्र सूज्या, सताराम पुत्र गौरू, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल हिस्सा बराबर 4/15 व लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/15 कौम ब्राहमण साकिन देह कृषक खुदकाश्त भोल्या पुत्र सूजा हिस्सा 1/5, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल हिस्सा बराबर 2/5, लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय हिसस 1/5 हिस्सेदार के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में उक्त भूमि माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए भोल्या पुत्र सूज्या, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल, लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय के नाम दर्ज कर दी गई, जो नियम विरूद्ध है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2051–2054 में उक्त भूमि की खातेदारी विपक्षीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का हस्तान्तरण बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो अवैधानिक है क्योंकि माफी मंदिर श्रीकृष्णजी को नाबालिग शाश्वत माना गया है और इसकी भूमि पर किसी अन्य को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है। अतः विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में माफी मंदिर श्रीकृष्णजी के नाम दर्ज किए जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस स्वीकार कर विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में पुनः माफी मंदिर श्रीकृष्णजी के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हमने विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की रेफरेंस के सम्बन्ध में बहस सुनी। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि सम्वत 2019 की खतौनी एकीकरण ग्राम झर के आराजी खसरा संख्या 264 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्रीकृष्णजी बहतमाम पुजारी लादू पुत्र हुक्मा हिस्सा 2/9, कन्हैया पुत्र जैला हिस्सा 4/9, भोल्या पुत्र सूज्या, सताराम पुत्र गौरू, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल हिस्सा बराबर 4/15 व लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/15 कौम ब्राहमण साकिन देह कृषक खुदकाश्त भोल्या पुत्र सूजा हिस्सा 1/5, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल हिस्सा बराबर 2/5, लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय हिसस 1/5 हिस्सेदार के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में उक्त भूमि माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए भोल्या पुत्र सूज्या, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल, लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय के नाम दर्ज कर दी गई, जो नियम विरूद्ध है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2051–2054 में उक्त भूमि की खातेदारी विपक्षीगण के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज है। उन्होंने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 या 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को मूर्ति मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर अगर कोई व्यक्ति काश्त करता है तो वह मंदिर मूर्ति के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। अन्त में उन्होंने तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर विवादित आराजियात बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की गयी अवैधानिक खातेदारी को निरस्त कर पुनः मंदिर मूर्ति के नाम अंकित करने की प्रार्थना की गई।

हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि सम्वत 2019 की खतौनी एकीकरण ग्राम झर के आराजी खसरा संख्या 264 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्रीकृष्णजी बहतमाम पुजारी लादू पुत्र हुक्मा हिस्सा 2/9, कन्हैया पुत्र जैला हिस्सा 4/9, भोल्या पुत्र सूज्या, सताराम पुत्र गौरू, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल हिस्सा बराबर 4/15 व लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/15 कौम ब्राहमण साकिन देह कृषक खुदकाश्त भोल्या पुत्र सूजा हिस्सा 1/5, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल हिस्सा बराबर 2/5, लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/5 हिस्सेदार के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2026–2029 में उक्त भूमि माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए भोल्या पुत्र सूज्या, हरसहाय, कल्याण पिसरान रामलाल, लक्ष्मण पुत्र गंगासहाय के नाम दर्ज कर दी गई, जो नियम विरूद्ध है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2051–2054 में उक्त भूमि की खातेदारी विपक्षीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का हस्तान्तरण बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो अवैधानिक है क्योंकि माफी मंदिर श्रीकृष्णजी को नाबालिग शाश्वत माना गया है और इसकी भूमि पर किसी अन्य को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है।

1984 आरआरडी पेज 01 में निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय दिया हैः–

(a) Idol- Minor- R.T.Act, Secs. 5(25) Proviso & 46 (1)(e)- Whether a deity is a minor for purpose of Sec. 46 and Proviso to Sec. 5 (25) or suffers from any mental or physical disability u/s 5(25) or incapable of cultivating land u/s 46 (1)(e)- Held deity is a minor for purpose of Sec 46(1)(a) and proviso to Sec. 5(25)- Question of infirmity and disabilities, not considered necessary to be examined since all minor enjoy protection u/s 46(1) (a).

(b) Raj. Tenancy Act. Ss. 46(1) & 16 (vi) - Whether khatedari rights can at all accrue in lands held for public purpose and lands of deities can be considered to be held for public purpose- Held, properties endowed for an idol, essentially for public purpose and/ or public utility unless temple, essentially private- AIR 1957 SC 133, followed- Hence khatedari rights cannot accrue in such lands.

(c) Raj. Tenancy Act, Sec. 5 (25) Land cultivated personally- Lands in muafi of deity, cultivated by a person, not being a pujari or manager, not a member of their family, nor a hired labour or servant- Held such land, included in definition of 'land cultivated personally' in sec 5(25).

इसके अतिरिक्त 1994 आरआरडी पेज 01 रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिपादित किया है किः–

"(B) **Rajsthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act-** (a) Section 2(i) and sub-section

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(23) of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act- When there was no provision in the law or in the proforma for preparation of the land records for the entry of the word 'khudkasht', the entry of merely the name of the khatedar in the column provided therefor (without the word 'khuddasht') did not detract from the 'khudkasht' naure of the tenure.

(b) Section 2(k)- Land cultivated personally - It is settled law that an idol is a perpetual minor and, therefore, it is not expected to cultivate the land personally and in such a case, the land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal supervision."

प्रस्तुत मामले में न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 01 एवं 1994 आरआरडी पेज 01 अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति सदैव नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि पर जिसके द्वारा भी काश्त की जाती है, वह मूर्ति द्वारा ही "Land cultivated personally" ही मानी जाएगी। राजस्व मण्डल की वृहद पीठ एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर अगर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो वह मंदिर मूर्ति के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। फलतः मूर्ति मंदिर उन अपवादित श्रेणियों में शामिल है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (म) के अन्तर्गत परिणित होने के कारण भूमिधारक या कृषक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बतौर उपकृषक राहिन के रूप में कृषि कराने के लिए लगाये गये प्रतिबंध लागू नहीं होते है। वैसे भी नाबालिग के व्यापक हितों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का होता है। यहीं नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तगत प्रकरण में माफी मंदिर मूर्ति की विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/आज्ञा के अवैध रूप से खातेदार दर्ज कर दिया गया है, जिसे उपरोक्त वर्णित विभिन्न विधिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के मद्देनजर निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणामतः प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम झर की आराजी खसरा संख्या 264 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की गयी खातेदारी को निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड पुनः माफी मंदिर श्रीकृष्णजी के नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0के0जायसवाल)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 148 / 2001 / जयपुर सरकार बनाम भोलाराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए